न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर०ए०एस

मुकदमा नं० 75/2024

1. मूलाराम पुत्र मानाराम जाति कुम्हार नि० चिरनोटिया, गुरलीपुरा, तह० जोबनेर

वादी

बनाम

1. राज० सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर राज०।
2. आचूकी देवी पत्नि गोगाराम जाति कुम्हार नि० भारीजा बबेरवालो की ढाणी, तह० जोबनेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,91 आर०टी०ए०

उपस्थित :– 1. श्री रामावतार सिंह विद्वान अधिवक्ता वादी
2. श्री बबलू कुमावत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2

दिनांक :– 23/04/2025

निर्णय

वादी द्वारा वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 91 आर०टी०ए० इस आशय का पेश किया गया है कि जमाबंदी अंतिम चोसाला संवत जमाबंदी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी मे वर्णित खाता नंबर नये 112 पुराना 105 की आराजी खसरा नम्बर 260/108 रकबा 1.4668 हैक्टर किस्म बारानी–1 वाके ग्राम चिरनोटिया, पटवार हल्का चिरनोटिया भू०अभि०नि० हिंगोनिया तह० जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी मालूराम 24/29 हिस्से का एंव प्रतिवादी सं० 2 5/2 हिस्से की रिकोर्डेड, खातेदार काश्तकार है।

वादी मानाराम का पुत्र है। वादी को बचपन मे मूलाराम व मूलचन्द दोनो नामो से पुकारते थे और नामकरण के समय वादी का नाम मूलाराम निकाला गया इस कारण वादी को मूलाराम व मूलचन्द नामो से पुकारा जाता था किन्तु वादी का राशनकार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर लिस्ट/कार्ड एवं अन्य समस्त दस्तावेजो मे मूला राम पुत्र माना राम अंकित है। वादी से ही संबधित है वादी का नामकरण के अनुसार रिकोर्डेड नाम मूलाराम पुत्र मानाराम है जो सही है।

खाता नं० नये 112 पुराना 105 की आराजी खसरा नं० 260/108 रकबा 1.4668 हैक्टर किस्म बारानी–1 वाके ग्राम चिरनोटिया, पटवार हल्का चिरनोटिया भू०अभि०नि० हिंगोनिया तह० जोबनेर जिला जयपुर मे वादी के पिता मानाराम के

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

स्वर्गवास उपरांत फौती नामा० भरा गया उस समय नामा० मे वादी का वास्तविक नाम मूलाराम की बजाय मूलचन्द बोलता नाम था अंकित कर दिया गया जो गलत है मूलचन्द नाम का कोई व्यक्ति नही है अतः नामा० मे सहवन से मूलाराम की जगह मूलचन्द दर्ज कर दिया गया।

वादी उपरोक्त वर्णित खाते की आराजी मे हिस्सेनुसार काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु उपरोक्त वर्णित खाते की आराजी मे राजस्व रेकार्ड मे मूला राम पुत्र मानाराम के स्थान पर मूलचन्द पुत्र माना अंकित रहने से वादी को अपने हिस्से की आराजी मे विकास करने हेतू ऋण सुविधा व राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओ से वंचित रहना पडता है वादी ने दिनांक 28/6/2024 को प्रतिवादी नं0 1 व पटवारी हल्का को उक्त नाम दुरूस्ती हेतू निवेदन किया तो उन्होने सक्षम न्यायालय मे वाद दायर करने की हिदायत दी अतः यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ। बिनाय दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण योम दिनांक 28/6/2024 को वादी ने उक्त नाम दुरूस्ती हेतू प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो उन्होने ने इन्कार कर दिया व सक्षम न्यायालय से अपने नाम की घोषणा कराने एवं दुरूस्ती कराने को कहने पर वाके ग्राम चिरनोटिया, पटवार हल्का चिरनोटिया भू0अभि0नि0 हिंगोनिया तह0 जोबनेर जिला जयपुर अंदर हदूद अदालत वाला पेदा हुयी दावा हाजा अंदर मियाद है काबिले समाअत अदालत वाला है।

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जावे कि आराजी वर्णित पेरा नं01 वादी पत्र जमाबंदी अंतिम चोसाला संवत जमाबंदी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी मे वर्णित खाता नं0 नये 112 पुराना 105 की आराजी खसरा नम्बर 260/108 रकबा 1.4668 हैक्टर किस्म बारानी–1 वाके ग्राम चिरनोटिया, पटवार हल्का चिरनोटिया भू0अभि0नि0 हिंगोनिया तह0 जोबनेर जिला जयपुर मे मूलचन्द पुत्र माना की बजाय मूला राम पुत्र मानाराम जमाबंदी मे दर्ज हिस्से अनुसार हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड मे खाता नं0 नया 112 मे मूलचन्द पुत्र माना की बजाय मूलाराम पुत्र मानाराम दुरूस्ती इन्द्राज किये जाने की डिक्री सादिर फरमायी जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब इस आशय का पेश किया गया है कि प्रतिवादी तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 06/04/2023 को न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब तथा फर्द मौका

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

रिपोर्ट इस आशय की जमाबंदी अंतिम चोसाला संवत जमाबंदी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी मे वर्णित खाता नं0 नये 112 पुराना 105 की आराजी खसरा नम्बर 260/108 रकबा 1.4668 हैक्टर किस्म बारानी–1 वाके ग्राम चिरनोटिया, पटवार हल्का चिरनोटिया भू0अभि0नि0 हिंगोनिया तह0 जोबनेर जिला जयपुर मे मूलचन्द पुत्र माना की बजाय मूला राम पुत्र मानारराम जमाबंदी मे दर्ज हिस्से अनुसार हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड मे खाता नं0 नया 112 मे मूलचन्द पुत्र माना की बजाय मूलाराम पुत्र माना दुरूस्ती किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रांक एलआर/24/4465 दिनांक 30.12.2024 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब के संलग्न मौका पर्चा के अनुसार आज दिनांक 17/10/2024 को ग्राम चिरनोटिया मे तहसीलदार जोबनेर के आदेश क्रमांक/LR/24/3263 दिनांक 16/8/2024 की पालना मे मौके पर पहुंचा। मौके पर मजमेआम मे मूलचन्द पुत्र मानाराम व मूलाराम पुत्र मानाराम के संबंध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर मे दर्ज वाद संख्या 2024/153 अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट का जवाब तैयार करने पर बताया गया की मूलचन्द पुत्र मानाराम व मूलाराम पुत्र मानाराम एक ही व्यक्ति है। जिनका राजस्व रिकॉर्ड मे ग्राम चिरनोटिया के खसरा नं0 260/108 रकबा 1.4668 है0 किस्म बारानी 1 जरिये विरासत से नामा0 (विरासत) से मूलचन्द पुत्र मानाराम नाम दर्ज हुआ था। वर्तमान मे उक्त खसरा नं0 पर हिस्सा 24/29 (लगभग 1.2139 है0) भूमि पर मूलचन्द पुत्र मानाराम ही कब्जे काश्त कर रहा है। उपस्थित मौतबिरान ने बताया की मूलाराम अनपढ़ व्यक्ति है इस वजह से राजस्व रिकोर्ड मे अशुद्धि हो गई।

उपस्थित मौतबिरान ने बताया की मूलाराम को ही बचपन मे बोलचाल की भाषा मे मूलचन्द बुलाया करते थे जबकि उनके पास उपलब्ध दस्तावेज मे उनका नाम मूलाराम पुत्र माना ही है। वर्तमान मे ग्राम चिरनोटिया के खाता न0 112 मे खसरा सं0 260/108 रकबा 1.4668 है0 हिस्सा 24/29 पर मूलचन्द पुत्र माना के नाम से राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया है। वकील प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जवाब दावे में वर्णित तथ्यों का ही दौहरान करते हुए वादी का वाद डिक्री फरमाये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार एवं फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

किया। आराजी खसरा नम्बर 260/108 रकबा 1.4668 हैक्टर किस्म बारानी–1 वाके ग्राम चिरनोटिया तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादी का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मूलचन्द पुत्र माना दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं निर्वाचन पहचान पत्र में वादी का नाम मूला राम पुत्र माना राम दर्ज है। ग्राम में उपस्थित मौतबिरानों ने बताया है कि मूलाराम एवं मूलचन्द एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जिसका सही नाम मूला राम पुत्र माना राम है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण वादी को ऋण सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0एक्ट स्वीकार किया जाता है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मूलचन्द पुत्र माना के स्थान पर मूलाराम पुत्र मानाराम दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 23/04/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर